सत्यमेव जयते

दिशा–निर्देश

''नई रोशनी''

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना 2017

(23.09.2017 से लागू)

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	पृष्ठभूमि	3
2	उद्देश्य	4
3	लक्षित समूह तथा संवितरण	4
4	पात्र संगठन	4–5
5	परियोजनाओं का कार्यान्वयन	6
6	नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल	6–7
7	संगठनों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप	7–14
8	संगठन के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार	14
9	निर्धारित वित्तीय मानक	14–16
10	मंत्रालय के लिए प्रशासनिक व्यय	16
11	वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य	17
12	विज्ञापन	17
13	संगठनों का चयन करने संबंधी मानदंड	17–19
14	प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण	19
15	प्रस्तावों का मूल्यांकन	19
16	स्वीकृति प्रदाता समिति	20
17	पैनल में शामिल करने एवं धनराशि जारी करने हेतु शर्तें एवं निबंधन	20–22
18	किस्तों में धनराशि जारी किए जाने संबंधी अपेक्षाएं	22
19	निधियां जारी करना	22–23
20	इलेक्ट्रानिक माध्यम से निधि का अंतरण	23–24
21	पारदर्शिता	24
22	निगरानी एवं मूल्यांकन	24–25
23	योजना की समीक्षा	25

"नई रोशनी"

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

1. पृष्ठभूमि

1.1 देश में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों की स्थिति, ठीक नहीं है। बालिका को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता जैसे पारिवारिक संसाधनों के आबंटन में अपने जन्म से पूर्व में और बाद में भेद–भाव का सामना करना पड़ता है और कभी–कभी कौमार्यावस्था में ही शीघ्र विवाह के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलायें खाना पकाने, जल लेकर आने, बच्चों को स्कूल भेजने, खेतों में काम करने, पशुओं को चारा देने तथा गायों का दूध दोहने जैसे अल्प–परिमाप्य कार्यों के दोहरे भार से दबी हुईं हैं जबकि पुरुष घर में उत्पादित दूध और अनाज बेचने जैसे परिभाषित कार्य करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी कार्य के भार से बुरी तरह दबे रहना पड़ता है। वे केवल अल्पसंख्यक नहीं हैं अपितु 'दरकिनार की हुई बहुसंख्यक' हैं तथा परिवार में निर्णय लेने के क्रम में अलग–थलग पड़ी हुई हैं और समुदाय कार्यों तथा सामाजिक संस्थानों से मिले लाभों के समान हिस्से की पूर्णतः भागीदार नहीं हैं।

1.2 महिलाओं को परस्पर सशक्त बनाना न केवल समानता के लिए आवश्यक है, अपितु यह निर्धनता में कमी लाने, आर्थिक विकास और नागरिक समाज को सुदृढ़ करने की हमारी लड़ाई में भी एक आवश्यक घटक है। गरीबी से बेहाल परिवारों में महिलाओं और बच्चों को सदैव ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सहायता की जरूरत होती है। महिलाओं, विशेषकर माताओं को सशक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर ही वह स्थान है जहां वे अपने बच्चों का पालन–पोषण करती हैं और उनका चरित्र–निर्माण करती हैं।

1.3 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (जिसे सच्चर समिति रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है) में इस तथ्य को उजागर किया गया था कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह–मुस्लिम, जिनकी संख्या 13. 83 करोड़ है, को विकास–पथ से अलग रखा गया है और इस समूह में मुस्लिम औरतें दोहरी वंचना की शिकार हैं।

1.4 इसी के मद्देनज़र, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011–12 में योजना को पुनः तैयार किया गया है और इसे **"नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना"** का नया नाम दिया गया। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2012–13 में शुरू किया गया।

1.5 कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के अनुभव के आधार पर, योजना में विशिष्ट संशोधन लाने की ज़रूरत महसूस की गई ताकि लक्षित समूहों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा आधारिक स्तर पर कार्यान्वयन हो सके और इसीलिए 6 मार्च, 2013 को स्थायी वित्त समिति द्वारा

मूल्यांकन किया गया तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना कार्यान्वित की गई थी। अब यह योजना 14वीं वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 तक के दौरान कार्यान्वित की जानी है। योजना को आगे की पैरा में बताए गए अनुसार कार्यान्वित किया जाना है।

2. उद्देश्य

2.1 इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ कार्य व्यवहार करने हेतु जानकारी, साधन तथा तकनीकें मुहैया कराकर उसी गांव/ मुहल्ले में रहने वाली अन्य समुदाय की उनकी पड़ोसियों सहित अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास जगाना है।

2.2 अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को अपने घरों तथा समुदाय की सीमाओं से बाहर निकलने तथा अपने जीवन और रहन–सहन दशाओं में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास लाभों के अपने समुचित हिस्से का दावा करने सहित सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों तक पहुंच बनाने में सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप में नेतृत्व भूमिकाओं का उत्तरदायित्व लेने के लिए सशक्त तथा साहसी बनाना। इसमें प्रशिक्षित महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है ताकि वे अंततः समाज के स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी सदस्य बने।

3. लक्षित समूह तथा संवितरण

3.1 लक्षित समूहों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, सिक्खों, बौद्धों, ईसाईयों, पारसियों और जैनों से संबंधित महिलाएं शामिल हैं। तथापि, समाज के बहुलता के स्वरूप को और सुदृढ़ता प्रदान करने तथा अपने भाग्य को संवारने के उनके स्वयं के प्रयासों में समैक्य और एकता लाने की दृष्टि से, योजना में परियोजना प्रस्ताव के अधिकतम 25% तक मिश्रित रूप से गैर–अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को भी शामिल किये जाने की अनुमति है। संगठन द्वारा यह प्रयास किए जाने चाहिए कि इस 25% के समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं, विकलांग महिलाओं और अन्य समुदाय की महिलाओं का मिश्रित प्रतिनिधित्व हो।

3.2 पंचायती राज्य संस्थाओं के अंतर्गत किसी भी समुदाय की चुनी गई महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) को प्रशिक्षणार्थी के रूप में शामिल होने के लिए राजी करने के प्रयास किए जाएंगे।

4. पात्र संगठन

4.1 इस योजना के तहत परिकल्पित पोषक/हैंडहोल्डिंग सेवाएं, जो हिमायत से भी जुडी हैं, एक क्षेत्र विशिष्ट कार्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सुविधा प्रदाता लक्ष्यित समूह के आस–पास सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य में निरंतर लगे रहें। योजना को कार्यान्वित करने

वाले संगठन के कार्मिकों को समय–समय पर गांवों/क्षेत्रों का दौरा करना आवश्यक होगा ताकि नेतृत्व से जुडा प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला वर्ग को पोषक/ हैंडहोल्डिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और इस प्रकार उन महिलाओं को सिखाई गईं तकनीकों और यंत्रों के इस्तेमाल की जानकारी दी जा सके और वे अपने प्रयासों से लाभ प्राप्त कर सकें। इस तरह के क्षेत्र विशिष्ट कार्यकलाप अत्यधिक प्रेरित और समर्पित समुदाय आधारित संगठनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। महिलाओं की कार्य प्रकृति घर के निकट रहने की होने के कारण यह महत्वपूर्ण है कि योजना को कार्यान्वित कर रहे संगठनों के पास गांवों/मुहल्लों जहां महिलाएं रहती हैं, में जाकर प्रशिक्षण संचालित करने के लिए अनुभव, कार्मिक और संसाधन हों।

4.2 संगठन के पास मान्यता प्राप्त सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में अथवा अपने स्वयं के सुविधा – केंद्रों में आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए संसाधन और पूर्व अनुभव होना चाहिए। इसलिए, यह आवश्यक है कि जिन संगठनों की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक हो तथा प्रेरणा और समर्पण भाव से युक्त हों और गांवों/क्षेत्रों में ऐसा प्रशिक्षण संचालित करने के लिए जनशक्ति और संसाधन हों तथा जो मान्यता प्राप्त सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी कर सकते हों, वे इस योजना के कार्यान्वयन में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। इसका आशय यह नहीं है कि इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को भाग न लेने दिया जाए।

4.3 इस योजना के अंतर्गत जो संगठन वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं, वे इस प्रकार हैं –

(i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी।

(ii) विद्यमान किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास।

(iii) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 के तहत पंजीकृत गैर–लाभ वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान।

(v) केन्द्र और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशिक्षण संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान।

(vi) महिला/स्व–सहायता समूहों की विधिवत पंजीकृत सहकारी सोसाइटियां।

(vii) राज्य सरकार की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां।

4.4 इसमें इसके बाद प्रयुक्त होने वाले "संगठनों" शब्द का आशय ऊपर उल्लिखित संगठन तथा उक्त परिभाषा के अंतर्गत आने वाले गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) होंगे।

5. परियोजनाओं का कार्यान्वयन

5.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चुनिंदा संगठनों के माध्यम से नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

5.2 चुनिन्दा संगठन परियोजना को अपने सांगठनिक ढांचे के माध्यम से इलाके/ग्राम/क्षेत्र में सीधे कार्यान्वित कर सकते हैं।

5.3 परियोजना को समुचित और सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उस संगठन की होगी जिसे मंत्रालय द्वारा कार्य सौंपा गया है।

6. नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल

6.1 नेतृत्व–क्षमता प्रशिक्षण मॉड्यूलों में संबंधित मुद्दों को कवर किया जाएगाः

1. महिलाओं के नेतृत्व–क्षमता
2. सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन की हिमायत
3. स्वच्छ भारत
4. महिलाओं के कानूनी अधिकार
5. जीवन कौशल
6. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
7. शैक्षिक सशक्तिकरण
8. पोषक एवं खाद्य सुरक्षा
9. सूचना का अधिकार
10. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
11. डिजीटल भारत
12. जेंडर एवं महिलाएं
13. महिलाएं एवं कड़ी मजदूरी।
14. महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा।
15. सरकारी तंत्रों का परिचय।

प्रशिक्षण मॉडयूल मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

6.2 ये मॉड्यूल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं। तथापि, क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसी द्वारा स्थानीय मुद्दों/जरूरतों पर आधारित विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल दी गई अवसंरचना के भीतर स्थानीय भाषा में तैयार किए जाएंगे।

6.3 प्रशिक्षण मॉड्यूल इस तरह से तैयार किए जाएंगे जिससे कि प्रशिक्षण संबंधी इनपुट्स संक्षिप्त चरणों में दिए जा सकें।

6.4 प्रशिक्षण मॉड्यूल को और अधिक रुचिकर तथा बोधागम्य बनाने की दृष्टि से प्रशिक्षण सामग्री में श्रव्य–दृश्य सामग्री और विषय से जुड़े अध्ययन शामिल किए जाएंगे। संगठनात्मक क्षमता, संवाद कौशल, स्व–विकास और सुस्पष्टता, संभाषण और सार्वजनिक रूप में भाषण, क्षमता निर्माण, वार्ता और विवाद समाधान आदि सरीखे नेतृत्व गुण प्रशिक्षण के अभिन्न अंग होंगे। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए और योजना को और जीवंत एवं सहक्रियात्मक बनाने हेतु समूह अभ्यास और वाद–विवाद को प्रशिक्षण मॉड्यूलों में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार संगत मुद्दों पर बोलने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

6.5 आवश्यक होने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास से जुड़ी उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्री को तैयार करने के लिए बाहर से विशेषज्ञ/परामर्शक/एजेंसी को नियोजित किया जा सकता है।

6.6 स्वीकृति प्रदाता समिति बाहरी विशेषज्ञ/परामर्शक/एजेंसी द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूलों को अनुमोदित करने/उनकी अनुशंसा करने संबंधी समिति का कार्य भी करेगी।

7. संगठनों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप

7.1 **गांवों/शहरी इलाकों का चयन :** संगठन द्वारा अल्पसंख्यक आबादी की पर्याप्त प्रतिशतता वाले ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण/शहरी इलाकों का नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए चयन किया जाएगा। उन गांवों की सूची, जहां ग्रामीण/शहरी इलाकों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं, अल्पसंख्यक आबादी की प्रतिशतता की सूचना के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

7.2 **प्रशिक्षण हेतु महिलाओं की पहचान और चयन मानदंड :** अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण संचालन हेतु चयनित संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले गांवों/इलाकों से योजना के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का चयन, पहचान और प्रेरित करें। महिला प्रशिक्षुओं की पहचान/चयन हेतु संगठनों में ग्राम पंचायत/नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख शामिल होंगे। परियोजना के अनुमोदन होने पर संगठन द्वारा प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले प्रशिक्षणार्थियों की सूची नई रोशनी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रबंध प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

7.3 **पात्र महिला प्रशिक्षणार्थी :** यद्यपि वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं होगी, फिर भी उन महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु चयन में वरीयता दी जाएगी जिन महिलाओं/माता–पिता अथवा संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हो। उनकी आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष आयु–वर्ग के बीच की होनी चाहिए।

7.4 **आधार/यू.आई.डी. नम्बर :** देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या, जिसे आधार नाम दिया गया है, दी जा रही है। आधार नम्बर उस संगठन द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए, जहां से यह जारी किया गया है तथा प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला के नाम के सामने इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। संगठन, ज़िला कलैक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट के कार्यालय अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) इत्यादि द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य किसी संस्थान, संगठन से अपना आधार नंबर प्राप्त करने में महिला प्रशिक्षणार्थियों की सहायता भी करेंगे।

7.5 संगठन को प्राधिकरण प्रपत्र के अनुसार प्रशिक्षण के लिए चयनित की गई महिलाओं के बैंक ब्यौरे अर्थात् खाता सं., आईएफएससी कोड के साथ संपर्क सूत्र/मोबाइल नं. प्राप्त करना है।

7.6 **प्रशिक्षण के प्रकार :** ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दो तरह के होंगे अर्थात् गैर–आवासीय एवं आवासीय तथा प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए महिलाओं के चयन के मानदंड इस प्रकार होंगे :–

(क) गैर–आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण : विशेषतः अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण और बेहतरी तथा सामान्यतः समाज के कल्याण के लिए समर्पित, प्रतिबद्ध एवं प्रेरित 25 ग्रामीण महिलाओं को एक बैच में नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन 25 महिलाओं के समूह में कम–से–कम 10% महिलाओं ने 10वीं कक्षा अथवा इसके समतुल्य कक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यदि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण महिलाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तो इसमें छूट प्रदान करते हुए इसे 5वीं कक्षा अथवा इसके समतुल्य कक्षा तक किया जा सकता है। संगठनों से यह अपेक्षित होगा कि वे इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों के पांच बैचों के सेटों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात्, संगठन इन प्रशिक्षित महिलाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें तथा उन्हें उचित वेतन मजदूरी अथवा स्व–रोजगार/लघु उद्यम के माध्यम से स्थायी आर्थिक आजीविका अवसरों को प्राप्त करने में सहायता करें ताकि वे हैंडहोल्डिंग (वैकल्पिक) के अंत में आर्थिक रूप से सशक्त हो।

(ख) आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण : एक गांव/शहरी क्षेत्र की अधिकतम 5 महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण के लिए 25 महिलाओं के समूह में (एक बैच) आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण के लिए चयन किया जा सकता है। उन्हें कम–से–कम बारहवीं अथवा उसके समतुल्य कक्षा का प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए। ऐसी महिलाओं के आसानी से उपलब्ध न होने पर 10वीं कक्षा की प्रमाण–पत्र धारक ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्णतः ठीक हों तथा विशेषतः अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण और बेहतरी तथा सामान्यतः समाज के कल्याण के कार्य के लिए समर्पित, प्रतिबद्ध एवं प्रेरित हों। उन्नत प्रशिक्षण के बाद उनसे आशा की जाएगी कि वे गावों मेंयोजना के तहत यथा परिकल्पित समुदाय आधारित

नेता/प्रशिक्षकों की भूमिका निभाएं। योजना के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये महिलाएं सरकारी एजेंसियों और संगठनों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी।

7.7 **प्रशिक्षण संचालन :**

1) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाओं को अपने घरों में रहना होता है तथा वे घर से अधिक दूर नहीं आ सकती हैं और इस तथ्य के मद्देनजर भी कि विशेषतः ग्रमीण महिलाओं की बेहतरी के लिए और सामान्यतः समुदाय के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाली युवा एवं शिक्षित महिलाएं हो सकती हैं, योजना के तहत दो तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

2) यह परिकल्पना है कि नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करेंगी। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में सक्षम बनाएगा।

3) संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष के लिए देखरेख और सहायता करेंगे कि सशक्त ग्रामीण महिलाएं आधारभूत अवसंरचना तथा सेवाओं की उपलब्धता/अनुलपब्धता से जुड़ी, परियोजना की तैयारी के दौरान अभिनिर्धारित गांवों/क्षेत्रों की जरूरत और तैयारी में बेहतरी के समान, अपनी शिकायतों/समस्याओं को ग्राम/ब्लॉक/जिला/राज्य प्राधिकरणों तक ले जाने में दबाव समूह का कार्य करने में सक्षम हो।

4) संगठन को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि देख–रेख/हैंड होल्डिंग के लिए लगाई गए सेवा प्रदाता यथा निर्धारित गांवों/शहरी क्षेत्रों का दौरा करे, तत्परता से अपने कार्यों को अंजाम दे तथा प्रगति की सूचना दें तथा उसे जरूरत पड़ने पर संगठन की सहायता प्राप्त हो।

5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :–

(क) **ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गैर–आवासीय प्रशिक्षण :–**

(i) गांव/इलाकों में प्रशिक्षण का संचालन विद्यमान सुविधाओं का इस्तेमाल करके अथवा किराए पर स्थायी इमारत को लेकर किया जाएगा।

(ii) प्रशिक्षण की अवधि 6 दिनों की होगी और प्रत्येक दिवस छहः घंटों के लिए होगा।

(iii) 25 प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच को अलग प्रशिक्षित किया जाएगा।

(iv) यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा कि मौसमों की मांग और धार्मिक अवसरों/त्यौहारों की तिथियों से प्रशिक्षण की तिथियां मेल न खाए।

(v) संगठन द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूलों के आधार पर क्षेत्र की स्थानीय भाषा में मुद्रित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

(vi) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आय/मजदूरी की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए प्रशिक्षण हेतु चयनित महिलाओं को भत्ता/वृत्तिका के साथ–साथ आहार और दिन में प्रशिक्षण के दौरान उनके बच्चों के लिए शिशुसदन की व्यवस्था की जाएगी।

(vii) चयनित पात्र महिलाओं को गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (वैकल्पिक) में नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा।

(viii) कार्यान्वयकर्ता एजेंसी उन महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए बैंकों में खाते खोलेगी जिनके अपने स्वयं के खाते नहीं है और वजीफा राशि इलैक्ट्रिक रूप से उनके खातों में तथा संसाधन व्यक्तियों का मानदेय पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस)/डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया जाएगा।

(ix) संगठनों द्वारा प्रशिक्षण देने के कार्य में लगाए गए प्रशिक्षकों में कम से कम दो–तिहाई प्रशिक्षक महिलाएं होंगी जिन्हें प्रशिक्षण मॉड्यूल में दिए गए विषयों पर अपना व्याख्यान उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में देने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) **आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण :**

क) चयनित पात्र महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण संस्थानों में नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ख) संगठनों के प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय प्रशिक्षणों को अनुमोदित करने के लिए, संबंधित संस्थान के पास किसी सुरक्षित स्थान पर कम–से–कम 25 महिलाओं के लिए आवास/भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए।

ग) प्रशिक्षण की अवधि पांच दिन की होगी और प्रत्येक दिन में सात घंटे की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

घ) 25 प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच को अलग प्रशिक्षित किया जाएगा।

ङ) प्रशिक्षण मॉड्यूलों के आधार पर संगठन द्वारा क्षेत्र विशेष की स्थानीय भाषा में मुद्रित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

च) यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा कि मौसम की मांग और धार्मिक अवसरों/त्यौहारों की तिथियों से प्रशिक्षण की तिथियां मेल न खाए।

छ) योजना में पूरा प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण सामग्री, आवास, भोजन, जलपान तथा यात्रा व्यय शामिल होगा।

ज) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के लिए भत्ता/वजीफा प्रदान किया जाएगा।

झ) कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी उन महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए बैंकों में खाते खोलेगी जिनके अपने स्वयं के खाते नहीं है और वजीफा राशि इलैक्ट्रिक आर्थिक सशक्तिकरण रूप से उनके खातों में अंतरित करेगी।

6) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण का संचालन कर रहे संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि योजना के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु ऐसी महिलाओं का चयन करे, जो प्रशिक्षक बनने की क्षमता रखती हों और नेतृत्व भूमिका ग्रहण करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने की क्षमता रखती हों।

7.10 कार्यशालाः

क) प्रशिक्षण संगठन, जिला कलेक्टर/उपायुक्त/उप–संभागीय अधिकारी/खंड विकास अधिकारी के साथ मिलकर जिला/उप–संभाग/ब्लॉक आदि स्तर पर सरकारी संस्थानों, बैंकरों और पंचायती राज्य संस्थाओं इत्यादि को इस योजना के तहत चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की जानकारी के लिए कम–से–कम आधे दिन की कार्यशाला आयोजित करेंगे। सरकारी पदाधिकारियों को उन सुधारात्मक कार्रवाइयों से अवगत कराया जाएगा, जिसकी मांग महिला समूहों द्वारा हो सकती है तथा उनकी समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए वे कैसे अनुक्रियाशील हो सकते हैं। यदि संबंधित जिला/उप–संभाग/ब्लॉक में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक से अधिक संगठन स्वीकृत हैं तो जिला प्रशासन इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने की जिम्मेदारी चुने हुए किसी एक संगठन को सौंप सकती है। चयनित संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना के तहत अन्य संगठनों की जिले/उप–संभाग/ब्लॉक में स्वीकृत प्रशिक्षण परियोजनाएं कार्यशाला में शामिल हों। यह कार्यशाला आयोजित करने के लिए, संबंधित संगठन को केवल 15,000/- रु. की राशि स्वीकार्य होगी।

ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पीआईए एवं लाभार्थियों का सुग्राहीकरण करने के लिए तथा योजना तथा स्व–रोजगार/वैतनिक रोजगार तथा अपेक्षित अनुभव/कौशल आदि के अवसरों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर सकता है। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए अधिकतम केवल 1,25,000/- रु. की राशि अनुमत्य होगी।

7.11 गैर–आवासीय प्रशिक्षण के अंतर्गत देख–रेख एवं हैंड होल्डिगः

क. देख–रेख एवं सहायता, संगठन द्वारा प्रशिक्षण के बाद उन महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से लेकर अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक सेवा स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिन्होंने नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण लिया हो। संगठन के सुविधा–प्रदाता परियोजना अवधि के दौरान एक माह में कम–से–कम एक बार शक्तिप्रदत्त महिलाओं की सहायता के लिए गांव/इलाकों का दौरा करेंगे और उनके साथ बैठकें करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों में से महिला मंडलों/महिला सभाओं/स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। इन महिला मंडलों/महिला सभाओं/स्वंय–सहायता समूहों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी हैंडहोल्डिंग के लिए विशेषज्ञों को लगाएगी। वे बैठकों, उपस्थिति, फोटोग्राफ्स और इन बैठकों के

दौरान विचार–विर्मश किए गए, समाधान किए गए मुद्दों का रिकोर्ड रखेंगे। यह, योजना की सफलता के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपनी समस्याओं और शिकायतों को इस योजना में यथा परिकल्पित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता मिल रही है।

ख. गैर–आवासीय प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (वैकल्पिक) हेतु:

(i) उपर्युक्त के अलावा, महिलाओं ('नई रोशनी' के अंतर्गत प्रशिक्षित) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से, संगठन (प्रशिक्षण के पूरा होने के उपरांत) को उन महिलाओं का पता लगाना चाहिए जो प्रशिक्षण के लिए इच्छुक है और जिन्हें किसी अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत और प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि उन्हें समुचित वैतनिक रोजगार अथवा स्व–रोजगार/सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्थाई आर्थिक आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सके।

(ii) इन इच्छुक महिलाओं की पहचान करने के पश्चात्, संगठन उनके द्वारा चुने गए कौशल से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा और प्रशिक्षणोंपरांत महिलाओं को किसी समुचित वैतनिक रोजगार प्राप्त करने अथवा एकल स्वामित्व के रूप में स्व–रोजगार करने में उनकी मदद करेगा।

(iii) महिला उद्यमियों/एसएचजी/को उनके उत्पाद के विपणन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने एवं उनकी सहायता करने के उद्देश्य से संगठन को उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को प्रत्यक्ष ऑनलाइन विपणन मंच उदाहरणार्थ shopclues.com, महिला ई–हार्ट तथा और भी कई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने में उनकी मदद करनी चाहिए। इससे महिला उद्यमी तथा खरीदार के बीच उनके उत्पादों, संपर्क–सूत्र, पता एवं साथ ही उत्पाद की मूल लागत का प्रदर्शन करने हुए उनके बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा। संगठन को महिलाओं को इस बात का भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे ऑर्डर को कैसे देखे तथा सरल ऑनलाइन आवेदनों का उपयोग करते हुए उन्हें कैसे भिजवाएं।

(iv) वह संगठन जो महिलाओं के इस आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन करते हों, परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए दी गई सेवा की लागत के रूप में 1500/- रु. प्रति व्यक्ति केवल की राशि के हकदार होंगे।

(v) वह संगठन जिन्होंने 'नई रोशनी' योजना के अंतर्गत नेतृत्व विकास परियोजना का विकल्प नहीं लिया है, भी योजना के महिलाओं के इस आर्थिक सशक्तिकरण के भाग के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं, यदि उनके पास इस प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण का संचालन करने तथा आर्थिक विकास एवं आजीविका के लिए महिलाओं का नेतृत्व करने की क्षमता तथा संसाधन हो। तथापि, लाभार्थियों का चयन केवल 'नई रोशनी' परियोजना से किया जाएगा।

(vi) वह संगठन जिसे योजना के अंतर्गत नेतृत्व प्रशिक्षण का निष्पादन करने के लिए चुना गया है, केवल नेतृत्व विकास कार्यक्रम की हैंडहोल्डिंग अवधि के दौरान इस प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

(vii) पात्रता मापदंड 'नई रोशनी' योजना के अंतर्गत नेतृत्व विकास परियोजना की तरह ही होगा।

(viii) भुगतान का तरीका–

क) 50% भुगतान नियुक्ति पत्र/स्व–रोजगार के दस्तावेजी साक्ष्य की प्राप्ति पर किया जाएगा।

ख) 50% वैतनिक रोजगार के मामले में लाभान्वित महिला की तीन नियमित वेतन पर्चियां तथा स्व–रोजगार की स्थिति में 3 महीने के आय की रसीद के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। साथ में सफलता की कहानी भी संलग्न की जाए।

ग. दिव्यांग अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु आर्थिक सशक्तिकरण (वैकल्पिक)

- इसके अलावा, नई रोशनी योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व–क्षमता विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शारीरिक रूप से विकलांग अल्पसंख्यक महिलाओं का पता लगाने और उन्हें कोई रोजगार/कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जिससे कि उनकी घरेलू आय में वृद्धि हो सके। उन्हें भौगोलिक स्थिति एवं कच्चे माल अथवा तैयार उत्पाद की मांग/पूर्ति के आधार पर वित्तीय रूप से उपयोगी ट्रेडों जैसे कि झाड़ू बनाना, टेलरिंग/कढ़ाई, सैनिटरी नैपकिन बनाना, मशरूम की खेती, अचार/पापड़ बनाना, दोना–पत्तल बनाना, ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, किताबों की जिल्दसाज़ी आदि में नियोजित किया जा सकता है। महिलाओं को उन स्थानीय बाजारों से जोड़ा जाना चाहिए जहां वे लाभ पर अपने उत्पाद बेचकर पैसा कमा सकें।

- बैंक के लेन–देनों के संबंध में जानकारी सांझा करते हुए बचत की आदतों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- संगठन को महिलाओं को कुशल बनाने के लिए अभिज्ञात दिव्यांग महिलाओं की सूची जिसके साथ उनके प्रमाण–पत्र तथा उनके द्वारा चुने गए ट्रेड की प्रति सहित दस्तावेज भेजने चाहिए।

- इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 1 से 3 महीने होगी जिसमें एक महीने का प्रशिक्षण तथा उनके उत्पाद बेचने के लिए स्थानीय बाजार के साथ जोड़ना शामिल होगा।

- बजटः मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए 10000/– रु0 प्रति महिला की राशि उपलब्ध कराएगा।

- किस्तेः दो किस्तों में निधि जारी की जाएगी अर्थात् 50% शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं की सूची के साथ प्रमाण–पत्र एवं संगठन द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने वाले ट्रेड की सूची प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा 50% अथवा दूसरी किस्त प्रशिक्षण पूरा होने तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की पुष्टि होने और सफलता की कहानियों की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत जारी की जाएगी।

7.12 समवर्ती निगरानी और रिपोर्ट प्रस्तुत करना : संगठन देख–रेख एवं सहायता सेवाएं प्रदान करते समय यथा अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समवर्ती निगरानी करेगा। संगठन, निर्धारित किए जाने वाले प्रारूपों में परियोजना पूरा होने के आशय की रिपोर्ट तथा मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। यह मंत्रालय की अपेक्षानुसार ऐसी रिपोर्टें राज्य और जिला प्रशासन को भी प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, संगठन ग्लोबल पॉजिशिनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) समर्थित मोबाइल फोन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य क्रियाकलापों यथा संकाय द्वारा किए गए संबोधन, सरकारी तंत्रों, प्रदान किए जा रहे मध्याह्न भोजन/भोजन (आवासीय), श्रव्य–दृश्य उपकरणों के प्रयोग तथा शिकायतों के निपटान के लिए प्रस्तुत याचिकाओं/पेश आ रही समस्याओं, आयोजित की जा रही कार्यशाला आदि की फोटो भेजेंगे।

8. संगठन के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार

8.1 संगठन **<u>ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस)</u>** के माध्यम से ग्रामीण/क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण के कम–से–कम 5(पांच) बैचों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

8.2 संगठन एक बैच के गैर–आवासीय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षणों की प्रत्येक परियोजना के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार के रूप में 25,000/- रु. केवल की राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो परियोजना के सफल कार्यान्वयन तथा समुचित एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने के लिए होंगी। ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के गैर–आवासीय प्रशिक्षण के लिए संगठन को स्वीकार्य एजेंसी शुल्क/प्रभार में संगठन से संबद्ध व्यय अर्थात् समवर्ती निगरानी और रिपोर्टिंग, प्रशासनिक लागतें तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य सभी व्यय आदि शामिल होंगे।

8.2 आवासीय प्रशिक्षण के संदर्भ में, प्रशिक्षणार्थियों के एक बैच के लिए 15,000/- रु. केवल की राशि एजेंसी शुल्क/प्रभार के रूप में प्राप्त करने की हकदार होगी।

9. निर्धारित वित्तीय मानक

9.1 संगठन को योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नीचे सारणी में दी गई मद्–वार दरों का अनुसरण किया जाएगा। प्रत्येक तरह के प्रशिक्षण के लिए

उल्लिखित कुल लागत 25 महिलाओं के बैच के लिए स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम अनुमन्य लागत होगी। प्रशिक्षण, यात्रा आदि के संदर्भ में होने वाले प्रस्तावित व्यय के लिए संगठन द्वारा परियोजना प्रस्ताव में सहायक एवं आवश्यक दस्तावेज़, यदि कोई हैं, उपलब्ध कराने होंगे। दरें निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं :–

महिलाओं के लिए गांवों/मुहल्लों में गैर–आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु दरों के ब्यौरे					
क्र. सं.	**नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए व्यय की मद**	**व्यक्तियों की संख्या**	**दर (रु.)**	**अवधि/ यूनिट**	**कुल लागत (रु.)**
1.	(क) संकाय सदस्यों/संसाधन व्यक्ति को लगाने के लिए शुल्क/मानदेय	2	750	6 दिन	9000
2.	(ख) संकाय सदस्यों/संसाधन व्यक्ति के लिए आने जाने का मार्ग व्यय	2	2500	3 बार	15000
3.	(ग) संकाय सदस्यों के लिए रहने की लागत	2	500	6 दिन	6000
4.	(घ) स्थल, फर्नीचर और शिशु सदन सुविधा को किराए पर लिया जाना		1000	6 दिन	6000
5.	(ङ) प्रशिक्षणार्थी महिलाओं हेतु एक बार के भोजन की लागत	25	100	6 लंच	15000
6.	(च) श्रव्य–दृश्य सहायता, प्रशिक्षण किट और रिपोर्ट के लिए विभिन्न कार्यों हेतु श्रव्य–दृश्य क्लिप को इस्तेमाल करना किराए पर लिया जाना		2000	6 दिन	12000
7.	(छ) स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री और साहित्य तथा लेखन सामग्री वितरित करने का खर्च	25	400	एक बार	10000
8.	(ज) महिलाओं के लिए भत्ता/वृत्तिका (प्रशिक्षणार्थियों के खाते में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरित)	25	100	6 दिन	15000
9.	(झ) पात्र महिलाओं को प्रेरित करने, उनकी पहचान और उनके चयन की लागत	25	50	एक बार	1250
10.	(ञ) समवर्ती निगरानी और रिपोर्टिंग सहित परियोजना अवधि के लिए सुविधा प्रदाता द्वारा हैंडहोल्डिंग/पोषण लागत		800	12 महीनों के लिए प्रतिमाह एक बार	9600
11.	**ग्रामीण प्रशिक्षण के एक बैच (25 महिलाओं) के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार जोड़ें**		6000		**6000**
कुल					**104850**

महिलाओं के लिए गांव/इलाके में आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु दरों का ब्यौरा					
क्र. सं.	**नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए व्यय की मद**	**व्यक्तियों की संख्या**	**दर (रु.)**	**अवधि/ यूनिट**	**कुल लागत (रु.)**
1.	(क) शुल्क, बोर्डिंग, आहार आदि शामिल (वास्तविक की अदायगी)	25	1200	5 दिन	150000
2.	(ख) साहित्य, प्रशिक्षण सामग्री, सूचना पुस्तिका, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रतियां, संगत कानून और अधिनियम, लेखन सामग्री।	25	600	एक बार	15000
3.	(ग) संकेतात्मक परिवहन व्यय (वास्तविक की अदायगी)	25	1000	एक बार आने जाने का	25000
4.	(घ) महिलाओं के लिए भत्ता/वृत्तिका (प्रशिक्षणार्थियों के खाते में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरित)	25	150	5 दिन	18750
5.	(ङ) पात्र महिलाओं को प्रेरित करने, उनकी पहचान और उनके चयन की लागत	25	50	एक बार	1250
6.	**आवासीय प्रशिक्षण के एक बैच (25 महिलाएं) के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार जोड़ें**		15000		15000
कुल					225000

10. मंत्रालय के लिए प्रशासनिक व्यय

10.1 मंत्रालय को इस योजना के तहत वार्षिक आवंटन में से 3.0% भाग को अपने प्रशासनिक व्यय जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रबंधक प्रणाली (ओएएमएस) के प्रबंधन, कम्प्यूटर और डवलेपिंग सहायक सामाग्री, जीपीएस युक्त मोबाइल फोन और सहायक सामग्री, फर्नीचर, लेखन सामग्री और सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण माड्यूलों की डीवीडी की खरीद, आंकडों के विश्लेषण और उनकी प्रविष्टि के लिए योग्य कार्मिकों/एजेंसियों की तैनाती, प्रस्तावों से संबंधित कार्य के निस्तारण, रिपोर्टों की निगरानी और मूल्यांकन, नोट तैयार करना, पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण और रिपोर्ट, मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचना और आकडें उपलब्ध कराने, कार्य दिवस में प्रश्न और उत्तर की सुविधा के लिए टेलीफोन की व्यवस्था अथवा ऐसे कार्यों आउटसोर्स करने, विज्ञापन जारी करने, प्रशिक्षण और पाठ्य–सामग्री तैयार करने के लिए परामर्शी प्रभारों, कॉल सेंटर सुविधाओं, कार्यशालाओं और सम्मेलनों आदि के लिए अलग से रखने की अनुमति होगी। कार्यशालाओं और सम्मेलनों में मंत्रालय द्वारा सफल उद्यमियों/लाभार्थियों को दर्शाते हुए योजना को लोकप्रिय बनाने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्य भी शामिल होंगे। लागत में टीए/डीए तथा विविध खर्चों सहित कार्यशाला के संचालन और आयोजन पर होने वाले सभी खर्चे शामिल होंगे।

11. वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य

11.1 इस योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले जिलों, ब्लॉकों और नगरों/शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में किया जाएगा। 14वीं वित्तीय आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 तक के दौरान 1.5 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को कवर करने अथवा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। संपूर्ण अवधि के लिए योजना हेतु 66 करोड़ रु. की निधि की आवश्यकता होगी।

12. विज्ञापन और प्रस्तावों को प्रस्तुत करना

12.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यूआरएल http://www.nairoshni-moma.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से संगठनों से प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। ओएएमएस का लिंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संगठन ओएएमएस में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सभी दस्तावेज ओएएमएस में ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। जब जक मांगा न जाए, संगठनों द्वारा मंत्रालय को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना होगा।

13. संगठनों का चयन करने संबंधी मानदंड

13.1 संगठनों के चयन के लिए कठोर अपेक्षाओं को अपनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन संगठनों के पास क्षमता है वे अत्यधिक प्रेरित, समर्पित और महिलाओं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनके पास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बिल्कुल निचले स्तर पर कार्य संचालित करने हेतु कार्मिक, वित्तीय क्षमता और अवसंरचना होना चाहिए। संगठन द्वारा अन्य अल्पसंख्यक अपेक्षाओं पर विचार करने से पूर्व निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं पूरी की जानी अपेक्षित होंगीः

(क) संगठन को विधिवत पंजीकृत होना चाहिए और कम–से–कम तीन वर्ष से कार्य संचालन में लगा होना चाहिए।

(ख) संगठन को वित्तीय रूप में अर्थक्षम होना चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में नहीं होना चाहिए। इसके लिए, प्रस्ताव के साथ पिछले तीन वर्षों की विधिवत् लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट ओएएमएस पर अपलोड की जानी चाहिए।

(ग) संगठन ने महिलाओं के उत्थान के लिए कम–से–कम एक परियोजना चलाई हुई हो और कार्यक्रम भी आयोजित किये हों जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल किये गये हों। इस आशय साक्ष्य ओएएमएस पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(घ) स्थानीय आधारिक स्तर संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें स्थानीय प्राधिकारियों/जिला कलेक्टर/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि ऐसे संगठनों ने महिला विकास परियोजनाओं के विशेष क्षेत्र में काम किया है और अच्छे परिणाम भी दिये है।

(ङ) संगठन के पास कम–से–कम तीन ऐसे मुख्य प्रशिक्षक कार्मिक होने चाहिए, जो कम–से–कम स्नातक/डिप्लोमाधारक हों। ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्मिकों के नामों, लिंग, शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता का क्षेत्र, अनुभव की अवधि और प्रकार, पूरा डाक पता और संपर्क नम्बर ओएएमएस पर दिया जाना चाहिए।

(च) संगठन को किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं होना चाहिए। संगठन अथवा इसके किसी भी कार्मिक को किसी अपराधिक अथवा सिविल वाद में संलिप्त होने के कारण सजा प्राप्त नहीं होना चाहिए। नोटरी द्वारा प्रमाणित एक विधिवत् शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(छ) प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण के मामले में, संगठन के पास अपेक्षित आवासीय सुविधा और प्रशिक्षण स्थान और शौचालय होने चाहिए, जो कम–से–कम 25 प्रशिक्षणार्थियों के लिए पर्याप्त हो। प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

(ज) यदि हिमालयी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, उत्तर–पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, सचिव (अ. का.) चयन मानदंड में छूट दे सकता है।

13.2 **पंजीकरण प्रक्रिया** : संगठन को 'नई रोशनी' के ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएसमएस) पर पंजीकृत होना तथा लॉगिन के लिए आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना जरूरी है। संगठनों का पंजीकरण केवल एक बार किया जाएगा। संगठनों का पंजीकरण संगठन के पंजीकृत मोबाइल नं. पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) गेटवे के माध्यम से किया जाएगा पंजीकरण के पश्चात्, संगठनों को ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) पर सूचना अपलोड करना और अपने अनुरोध पर विचार करने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करके ओएएमएस पर अपलोड करना आवश्यक है। निम्नलिखित दस्तावेजों को ओएएमएस में स्कैन करके अपलोड करना आवश्यक है :–

(क) संगठन के अस्तित्व में रहने के वर्षों की संख्या तथा कार्य करने की अवधि।

(ख) संगठन द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा मूल्यांकित संस्थान के कार्य निष्पादन संबंधी रिकॉर्ड।

(घ) संगठन द्वारा उस इलाके/क्षेत्र/मुहल्ले में समान सांस्कृतिक माहौल में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या जहां संगठन इस योजना के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की इच्छा रखता हो।

(ङ) संगठन के लिए कार्य कर रहे सामाजिक कार्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधिधारी महत्वपूर्ण कार्मिकों की संख्या।

(च) संगठन के लिए कार्य कर रहीं महिला फील्ड वर्करों/सुविधा प्रदाताओं की संख्या।

(छ) संगठन द्वारा सरकारी, द्विपक्षीय, बहु–पक्षीय वित्तीय एजेंसी/संस्थान अथवा संयुक्त राष्ट्र से वित्तीय सहायता प्राप्त तथा शुरू किए गए परियोजनाओं की संख्या।

14. प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

14.1 प्रस्ताव ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत की जाएगी।

14.2 ओएएमएस में पूर्ण प्रस्ताव भरने के पश्चात्, उसका प्रिंट लिया जाए और निर्धारित फार्मेट में अनुशंसा के लिए जिला कलेक्टर/जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करें जो "फार्म्स एंड गाइडलाइन्स" के अंतर्गत होमपेज पर उपलब्ध है। जिला प्रशासन ओएएमएस होमपेज पर दिए गए निर्धारित फार्मेट के अनुसार प्रत्ययपत्रों को अभिनिर्धारित करेगा। डीसी/डीएम संबंधित संगठन के लिए अनुशंसाओं की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। संगठन ओएएमएस के माध्यम से अनुशंसओं की एक स्कैन प्रति प्रस्तुत करेगा और आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

14.3 योग्य संगठनों की परियोजना को मंत्रालय में स्वीकृति प्रदाता समिति के समक्ष विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। वित्तीय सहायता उन्हीं संगठनों को दी जाएगी, जिनके परियोजना प्रस्ताव को ठीक एवं क्रम में पाया जाता है तथा जो योजना के उद्देश्यों को पूरा करते हों।

15. प्रस्तावों का मूल्यांकन

15.1 मंत्रालय के पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले संगठनों की मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी और स्वीकृति प्रदाता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

15.2 चयन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जनगणना 2011 के कोटे के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व को अपनाया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच बैचों का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी की मिली–जुली प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा।

15.3 यदि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक महिलाओं के समग्र संयुक्त वास्तविक लक्ष्य का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच वितरित किया जाएगा।

16. स्वीकृति प्रदाता समिति

16.1 योजना के कार्यान्वयन के लिए पैनल पात्र संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं पर निम्नलिखित अनुसार गठित स्वीकृति प्रदाता समिति विचार करेगी और अनुशंसा करेगी : –

(क) **अपर सचिव/संयुक्त सचिव**, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (योजना से संबद्ध) – अध्यक्ष

(ख) **संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार/प्रतिनिधि**, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य

(ग) **प्रतिनिधि**, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – सदस्य

(घ) **प्रतिनिधि**, ग्रामीण विकास मंत्रालय – सदस्य

(ङ) **निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव**, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (योजना से संबद्ध)
–संयोजक और सदस्य

17 पैनल में शामिल करने एवं धनराशि जारी करने हेतु शर्तें एवं निबंधन

किसी संगठन को पैनल में शामिल करने और उसे वित्तीय सहायता जारी करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें होंगी, जिन्हें मंत्रालय द्वारा किसी भी चरण पर संशोधित किया जा सकता है :–

(क) संगठन की एक वेबसाइट होगी, जिसमें संगठन, मुख्यालय, क्षेत्र कार्यालयों, लैंड लाइन दूरभाष नम्बरों, कार्मिकों, पिछले कार्यों तथा क्रियाकलापों के सभी ब्यौरे प्रदर्शित किए जाएंगे।

(ख) संगठन के पास सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों जैसे संकाय तथा सरकारी पदाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यान, प्रदान किए जाने वाले भोजन, श्रव्य–दृश्य उपकरणों के इस्तेमाल, शिकायतों/पेश आ रही समस्याओं के निदान के लिए याचिकाएं प्रस्तुत करने, आयोजित की जा रही कार्यशालाओं आदि की फोटो लेने के लिए जी.पी.एस. सिस्टम डिजिटल कैमरा होना चाहिए।

(ग) संगठन को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 'शर्तों एवं निबंधनों' को स्वीकारते हुए उस सक्षम प्राधिकारी के नाम का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जो योजना के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और दो ज़मानतियों के साथ एक बॉंड प्रस्तुत करना होगा और स्वीकृत अनुदान से संबंधित खातों को प्रस्तुत करने के लिए भी वह जिम्मेदार होगा। दो ज़मानती प्रस्तुत करने की अपेक्षा केन्द्रीय और राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता–प्राप्त संस्थानों तथा केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी।

(घ) संगठन को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय सहायता संबंधी अलग खाते का रख–रखाव करना होगा और निरीक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर लेखा–बहियों को उपलब्ध कराना होगा।

(ङ) संगठन वित्तीय सहायता का उपयोग केवल विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए करेगा।

(च) संगठन को वचन–पत्र देना होगा कि इस शर्त के उल्लंघन की दशा में सरकार से ली गई धनराशि को 18% वार्षिक दांडिक ब्याज के साथ अथवा मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित दांडिक ब्याज के साथ लौटाना होगा तथा सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई अन्य किसी कार्रवाई का सामना करना होगा।

(छ) संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए अकेले जिम्मेदार होंगा कि प्रशिक्षण के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली महिलाओं का ही चयन किया जाए।

(ज) संगठन यह वचन–पत्र देगा कि इस परियोजना से संबंधित उसके बही–खाते केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों अथवा मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा निरीक्षण के लिए सुलभ रहेंगे।

(झ) इस परियोजना के पूरा होने पर, संगठन द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को ऑनलाइन आवेदन प्रबंध प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से निम्नलिखित कागजातों के साथ उपयोग प्रमाण–पत्र (जीएफआर–19ए) और किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना होगा :–

(i) वर्ष के लिए विधिवतः लेखा परीक्षित आय और व्यय विवरण/तुलन पत्र तथा वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि के संदर्भ में संगठन के प्राप्ति और भुगतान का खाता।

(ii) इस आशय का एक प्रमाण–पत्र कि संगठन ने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा अन्य किसी सरकारी/गैर–सरकारी संगठन/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों अथवा संयुक्त राष्ट्र से इसी परियोजना के लिए अन्य कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(ञ) संगठन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल पर प्रशिक्षण की तारीख और स्थान का उल्लेख करते हुए बैनर/बोर्ड लगाये जाएंगे कि प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है।

(ट) संगठन ओएएमएस पर मंत्रालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन संबंधी पूर्व सूचना अग्रिम तौर पर देगा ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को तैनात किया जा सके।

(ठ) संगठन ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित करने के प्रमाण स्वरूप इसके फोटोग्राफ और वीडियों क्लिपिंग मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। इन्हें संगठन द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी दिखाया जाएगा।

(ड) संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तिकाओं, प्रचार सामग्रियों आदि की प्रतियां मंत्रालय/राज्य सरकार को ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।

(ढ) भारत सरकार को कार्यक्रम अथवा अनुमानित लागत में बदलाव करने के लिए संगठन को निदेश देने का अधिकार होगा।

(ण) सरकार को सहायता अनुदान जारी करने से पहले कोई अन्य शर्त निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(त) गांवों/मोहल्लों में परियोजना प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित स्वीकृत संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात अधिकांश प्रशिक्षक महिलाएं हों और इनमें से कुछ महिलाएं संबंधित अल्पसंख्यक समुदायों से हों।

18. किस्तों में धनराशि जारी किए जाने संबंधी अपेक्षाएं

18.1 संगठन द्वारा दो ज़मानतियों के साथ एक बॉन्ड भरना पर्याप्त रहेगा यदि यह संगठन को सीधे जारी की जाने वाली राशि के बराबर का है। दूसरी और बाद की किस्त की राशि जारी किया जाना संगठन द्वारा नीचे उल्लिखित विभिन्न अपेक्षाएं पूरी करने पर आधारित होगा, जिसमें सभी कार्यों/प्रशिक्षणों का फोटोग्राफिक प्रमाण, संगठन द्वारा ओएएमएस के माध्यम से प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टें तथा उपयोग प्रमाण–पत्र आदि आनिवार्य रूप से शामिल होंगे।

18.2 **फोटोग्राफ :** संगठन में उपलब्ध जी.पी.एस. समर्थित कैमरे/मोबाइल फोन के माध्यम से प्रतिदिन के सभी कार्यों का फोटो लिया जाएगा तथा ओएएमएस पर अपलोड किया जाएगा। संगठन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फोटोग्राफ मंत्रालय और राज्य सरकार को भेजे जाने पर ही दूसरी और बाद की किस्त जारी की जाएगी। संगठन इन फोटोग्राफों को अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे।

19. निधियां जारी करना : मंत्रालय द्वारा संबद्ध संगठन के बैंक खाते में स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर धनराशि इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निम्नलिखित अनुसार किश्तों में जारी की जाएगी :–

क. <u>गैर–आवासीय गांवों/शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए:</u>

प्रथम किस्त: स्वीकृत परियोजना लागत का 50% प्रशिक्षण शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा। संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन और भत्तों/वज़ीफे के लिए व्यय को कवर करती है। कार्यशाला आयोजन के लिए धनराशि एकमुश्त, यदि आवश्यक हो, प्रथम किस्त के साथ जारी की जाएगी।

दूसरी किस्तः प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च की गई अनुमोदित परियोजना लागत/स्वीकार्य लागत का 40% दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना के लेखों के लेखा–परीक्षित ब्यौरों के साथ उपयोग प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा होने के आशय का तथा प्रशिक्षित सभी महिलाओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र, जो पंचायत प्रमुख/निगम निकाय/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो और उपयोग प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। ये ओएएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

तीसरी किस्तः अनुमोदित परियोजना लागत/स्वीकार्य लागत का 10% दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना पूर्णता रिपोर्ट, हैंडहोल्डिंग/संपोषण का विवरण प्रस्तुत करने, जिस पर पंचायत/निगम निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो और उपयोग प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। ये ओएएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

ख. <u>आवासीय प्रशिक्षण के लिएः</u>

प्रथम किस्तः स्वीकृत परियोजना लागत का 50% प्रशिक्षण शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा। संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह धनराशि प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और भत्तों/वज़ीफों के व्यय को कवर करती है। कार्यशाला आयोजन के लिए व्यय एकमुश्त, यदि आवश्यक हो, प्रथम किस्त के साथ जारी किया जाएगा।

दूसरी किस्तः प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च की गई अनुमोदित परियोजना लागत/स्वीकार्य लागत का 50% दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना के लेखों के लेखा–परीक्षित ब्यौरों के साथ उपयोग प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा होने के आशय का तथा प्रशिक्षित सभी महिलाओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र, जो पंचायत प्रमुख/निगम निकाय/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो और उपयोग प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी करने किया जाएगा।

ग. गैर–आवासीय प्रशिक्षण के अधीन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भुगतान का तरीका (वैकल्पिक)

क) भुगतान का 50% रोजगार पत्र/स्वरोजगार का दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर अदा किया जाएगा।

ख) 50% वैतनिक रोजगार के मामले में लाभार्थी महिला की 3 नियामित वेतन स्लिप और स्व–रोजगार के लिए 3 महीनों की आय प्राप्ति के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जाएगा। साथ में सफलता की कहानी भी संलग्न की जाएगी।

20. इलेक्ट्रानिक माध्यम से निधि का अंतरण

20.1 बैंको द्वारा निधियों का अंतरण इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाएगा।

20.2 संगठन/प्रशिक्षण संस्थान के खाते में पीएफएमएस (इसके मानदंडों के अनुसार) के माध्यम से सीधे ई–भुगतान के लिए समर्थ बनाने के लिए संगठन को भुगतान प्राप्तकर्ता की ओर से एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें संस्थान को ई–भुगतान से संबंधित पूरे ब्यौरे यथा – आदाता का नाम, बचत बैंक खाता सं., आई.एफ.एस.सी. कोड नं., बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम और पता आदि शामिल होगा। वजीफे की राशि गलत खाता संख्या में जमा किए जाने से बचने के लिए प्राधिकार पत्र पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा और निर्धारित प्ररूप में ओएएमएस पर अपलोड किया जाएगा। सही खाता संख्या उपलब्ध कराना संगठन की ज़िम्मेदारी होगी।

21. पारदर्शिता

21.1 संगठन की वेबसाइट होना अनिवार्य है, जिसमें संगठन, मुख्यालय, क्षेत्र कार्यालयों, लैंड लाइन दूरभाष नम्बरों, कार्मिकों, पिछले कार्यों तथा क्रियाकलापों के ब्यौरे प्रदर्शित करना आवश्यक है।

21.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय परियोजना को क्रियान्वित करने वाले संगठन, स्वीकृत परियोजनाओं, परियोजनाओं के स्थान, प्रशिक्षणार्थियों के एमआईएस आदि के ब्यौरे भी ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) के वेब पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में पोस्ट करेगा।

22. निगरानी एवं मूल्यांकन

22.1 संगठनों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय एक तंत्र स्थापित करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य के पदाधिकारियों तथा या कुछ ख्याति–प्राप्त महिलाओं/गैर–सरकारी संगठनों को समीक्षा बैठकों में आमंत्रित करेगा। स्वीकृति प्रदाता समिति द्वारा भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

22.2 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समितियों, जिनमें जनता के प्रतिनिधि भी शामिल हों, को भी इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग का काम सौंपा जा सकता है।

22.3 कार्यान्वयनकर्ता संगठनों की आर्थिक मानीटरिंग मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों द्वारा भी की जा सकती है जिसके लिए प्रभारों का भुगतान योजना के उप–शीर्ष व्यावसायिक प्रभार से किया जाएगा।

22.4 योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान, मंत्रालय किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण मॉड्यूलों की जरूरत, ऐसे प्रशिक्षणों की वित्तीय व्यवहार्यता, अधिकतम महिलाएं जिनको संगठन द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है, की विशेष रूप से समीक्षा करेगा। इसे प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन के अंतर्गत, मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेसिंयों द्वारा किया जा सकता है। अनुभव प्राप्त

अधिकारियों,, महिलाओं, गैर–सरकारी संगठनों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

22.5 परियोजना का प्रभाव आकलन और मूल्यांकन आवधिक रूप से अथवा जब भी अपेक्षित होने पर उपर्युक्त अनुसार मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ऐसे अध्ययनों के लिए धनराशि मंत्रालय की अनुसंधान/अध्ययन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन की मौजूदा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

23. योजना की समीक्षा

23.1 मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

23.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय, क्षेत्रीय जरूरतों और लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जब भी आवश्यक हो, कार्यान्वयन में सुधार के लिए वित्तीय पहलुओं को शामिल न करके, योजना में परिवर्तन/आशोधन कर सकता है।

*****